भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 299*
16.12.2024 को उत्तर के लिए

पोस्त की खेती से प्रभावित वन क्षेत्र

299*. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मणिपुर में आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के कुल क्षेत्र का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में जिलावार पोस्त पौधारोपण/खेती द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) उक्त राज्य में पोस्त की खेती/पौधारोपण से प्रभावित आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन का कुल क्षेत्र कितना है; और

(घ) मणिपुर में वन क्षत्रों में पोस्त की खेती/पौधारोपण के खतरे से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पोस्त की खेती से प्रभावित वन क्षेत्र' के संबंध में डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम द्वारा दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मणिपुर राज्य के विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और प्रस्तावित आरक्षित वन तथा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (वन्यजीव क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्त की खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्र का जिलेवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) मणिपुर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान मणिपुर राज्य में पोस्त की खेती से प्रभावित आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और प्रस्तावित आरक्षित वन तथा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (वन्यजीव क्षेत्र) के कुल क्षेत्र का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ) वनों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों में कानूनी प्रावधान हैं। इसके अलावा, मणिपुर में वन क्षेत्रों में पोस्त की खेती/पोस्त के रोपण के खतरे से निपटने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसमें पुलिस, वन, नारकोटिक्स और सीमा मामले (एनएबी), मणिपुर और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त दल द्वारा 77.44 वर्ग किलोमीटर पोस्त की खेती को नष्ट किया जाना और वर्ष 2017 से वर्ष 2023 के दौरान मणिपुर पुलिस द्वारा 2,351 मामलों का पंजीकरण किया जाना शामिल हैं। इसके अलावा, मणिपुर राज्य सरकार द्वारा पोस्त सहित विभिन्न नशीली दवाओं से संबंधित मामलों के संबंध में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत 2,943 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। मणिपुर वन विभाग ने पोस्त की खेती करने वालों के विरुद्ध 43 एफआईआर दर्ज की हैं। पोस्त की खेती की जाने वाले 142 हेक्टेयर क्षेत्र को वनरोपण करके पुनर्बहाल भी किया गया है।

पोस्त की खेती से पर्यावरण, लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने प्रतिकूल प्रभाव और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता एवं संवेदी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

****

अनुलग्नक-I

'पोस्त की खेती से प्रभावित वन क्षेत्र' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

मणिपुर राज्य में आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और प्रस्तावित आरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के कुल क्षेत्रों का विवरण- वन प्रभागवार

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

क्र .सं.	**वन प्रभाग का नाम**	**आरक्षित वन**	**संरक्षित वन**	**संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क**	**उपयोग-**	**अवर्गीकृत वन एवं प्रस्तावित आरक्षित वन**	**सकल योग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = (3+4+5(**	**7**	**8 = (6+7)**
1	बिश्नुपुर	3.05	0.13	41.44	44.62		
2	सेंटरल	218.66	-	-	218.66		
3	फेरजाबल	90.00	-	-	90.00		
4	चुराचन्दपुर	188.73	823.64	209.22	1221.59		
5	जीरिबाम	117.12	-	0.00	117.12		
6	सेनापति	7.77	451.28	94.16	553.21		
7	कांगपोकपी	99.84	491.26	-	591.10	12145.35	
8	चंदेल	141.86	28.47	-	170.33		
10	नोनी	95.27	1431.62	-	1526.89		
11	तामेंगलांग	-	-	349.53	349.53		
12	थौबल	20.24	27.73	-	47.97		
13	खरूल	0.00	-	105.67	105.67		
14	टेंग्नौपाल	1.27	-	184.80	186.07		
15	कामजोंग	-	46.18	3.0	49.88		
	कुल	**983.81**	**3300.31**	**988.52**	**5272.64**	**12145.35**	**17418.00**

अनुलग्नक-II

'पोस्त की खेती से प्रभावित वन क्षेत्र' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

वर्ष 2023-24 के दौरान मणिपुर राज्य में पोस्त की खेती/पोस्त के रोपण किए गए क्षेत्र का जिलेवार कुल क्षेत्रफल

क्र.सं .	**जिले का नाम**	**क्षेत्रफल वर्ग किमें .मी .**
1)	चंदेल	0.91
2)	चुराचन्दपुर	6.02
3)	कामजोंग	4.21
4)	कांगपोकपी	17.49
5)	नोनी	0.47
6)	कमांड सेनापति	9.44
7)	तामेंगलांग	0.17
8)	टेंग्नौपाल	0.50
9)	खरूल	6.47
10)	इंफाल पूर्व	-
11)	इंफाल पश्चिम	-
12)	बिश्नुपुर	-
13)	थौबल	-
14)	फेरजाबल	-
15)	जीरिबाम	-
16)	ककचिंग	-
	कुल	**45.68**

स्रोतः मणिपुर राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र (एमएआरएसएसी), मणिपुर

अनुलग्नक-III

'पोस्त की खेती से प्रभावित वन क्षेत्र' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-III

वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्त की खेती/पोस्त के रोपण से प्रभावित आरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित क्षेत्र और अवर्गीकृत वन

क्र. सं.	**वन का नाम**	**पोस्त की खेत से प्रभावित क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)**
1	आरक्षित वन	3.47
2	प्रस्तावित आरक्षित वन	2.51
3	संरक्षित वन	19.24
4	संरक्षित क्षेत्र (वन्यजीव)	0.06
5	अवर्गीकृत वन	20.40
	कुल	**45.68**

स्रोतः मणिपुर राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र (एमएआरएसएसी), मणिपुर